प्रेषक,

जिलाधिकारी
बिजनौर।

सेवा में,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण
कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली।
e-mail judicial-ngt@gov.in

पत्रांकः 2039 / खनिज अनुभाग–23 दिनांकः 30 सितम्बर, 2023

विषय O.A. No 451/2022 Anand kumar Dhyani Vs. Public Works Department में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2023 के अनुपालन में आख्या प्रस्तुत किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पृष्ठाकिंत O.A. No 451/2022 Anand kumar Dhyani Vs. Public Works Department में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2023 के अनुपालन में मा0 अधिकरण द्वारा वाछिंत रिर्पोट सादर संलग्न कर ई0मेल के माध्यम से प्रेषित है।

संलग्नक :– यथोक्त।

P. B030
जिलाधिकारी
बिजनौर

जिलाधिकारी,
बिजनौर।

ओ0ए0 451 / 2022

आनन्द कुमार ध्यानी

बनाम

पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक

29.08.2023 के अनुपालन में

जिलाधिकारी बिजनौर

की ओर से आख्या

P. Borah
जिलाधिकारी
बिजनौर

जिलाधिकारी,
बिजनौर।

संयुक्त आख्या

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दायर O.A No. 451/2022 Anand kumar Dhyani Vs. Public Works Department में पारित आदेश दिनांक 29.08.2023 के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् है–

1– **मिटटी खनन के सम्बन्ध में** :– दिनांक 25.05.2023 को किये गये निरीक्षण के दौरान ग्राम मुर्तजाबाद तहसील नगीना जिला बिजनौर के खाता सं0 74 गाटा सं0 1/11मि क्षे0 1.620 हे0 भूमि आस–पास के खेतो के बराबर समतल पायी गयी तथा उक्त भूमि सडक से ऊंची होनी पायी गयी। प्रथम दृष्टतया मौके पर ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया, जिससे प्रतीत होता हो कि उक्त भूमि से मिटटी की निकासी की गयी है।

2– **वृक्षो की क्षति के सम्बन्ध में** :– श्री आनन्द कुमार ध्यानी निवासी शिव लोक–2 चन्द्रमणी रोड, शिमला बाईपास, देहरादून द्वारा की गयी शिकायत के क्रम में दिनांक 25.10.2021 को मौ0 इरफान हुसैन, वन रक्षक, कौडिया वन रेंज, बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद द्वारा शंकरपुर फार्म से ढकिया रोड तक सडक निर्माण स्थल का अपने हमराह श्री प्रदीप कुमार वन दरोगा के साथ निरीक्षण किया गया था जिसमें पाया गया कि शंकरपुर फार्म से ढकिया मेन रोड तक लोक निर्माण विभाग जिला बिजनौर द्वारा सडक निर्माण का कार्य कराया जा रहा था तथा निर्माणाधीन सडक किनारे खडे सागौन के 11 हरे वृक्षो को ठेकेदार के सुपरवाइजर श्री अनूप कुमार सिहं पुत्र श्री भूप सिहं निवासी ग्राम खबडिया घाट, जिला मुरादाबाद द्वारा जे0सी0बी0मशीन से जड से उखाड दिया गया था। उखाडे गये वृक्षो की आवक्ष ऊँचाई पर गोलाई निम्न पायी गयी थी :–

क्रम सं0	वृक्ष की प्रजाति	वृक्ष की आवक्ष ऊंचाई पर गोलाई (से0मी0 में)
1	2	3
1	सागौन	102
2		78
3		65
4		81
5		60
6		68
7		73
8		93
9		70
10		60
11		77

(2)

उखाडे गये उक्त 11 वृक्षो सागौन अधिसूचित वन भूमि पर स्थित नहीं थे तथा उनका स्वामित्व वन विभाग, उत्तर प्रदेश का नहीं था। उपर्युक्त वृक्षों को हटाने/काटने हेतु उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा-5 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गयी थी। अतः 11 वृक्ष सागौन को जड से उखाडकर नष्ट करने के अपराध में कौडिया वन रेंज बिजनौर, वन प्रभाग नजीबाबाद के अन्तर्गत वन अपराध प्रसूचना संख्या 3/कौडिया/2021-22 अन्तर्गत धारा 4/10 उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 अनूप कुमार सिहं पुत्र श्री भूप सिहं निवासी ग्राम खाबडिया घाट जिला मुरादाबाद के विरूद्ध नामजद तथा दो अन्य अज्ञात के विरूद्ध दिनांक 25.10.2021 को दर्ज की गयी थी। उक्त दर्ज केस की जॉच श्री अखिलेश चन्दौला वन दरोगा, कौडिया वन रेंज, बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद द्वारा की गयी थी तथा नामजद मुल्जिम अनूप कुमार सिहं पुत्र श्री भूप सिहं निवासी ग्राम खाबडिया घाट जिला मुरादाबाद का बयान दर्ज किया गया। बयान में अनूप कुमार सिहं (मुल्जिम) द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि शंकरपुर से ढकिया मेन रोड तक सडक निर्माण कार्य कराये जाने के दौरान जे0सी0बी मशीन से मिटटी खुदान में कुछ वृक्षों की जडो से मिटटी निकल गयी थी तथा वृक्ष मौके पर गिर गये थे। उक्त मुल्जिम ने दर्ज कराये गये बयान में अपना अपराध स्वीकार करते हुए केस का वन विभाग के स्तर से फैसला करने का अनुरोध किया गया था। अनूप कुमार सिहं के बयान की प्रति संलग्न है। यह अपराध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 15 के अन्तर्गत वन विभाग के स्तर से प्रशमनीय था तथा केस के जॉच अधिकारी की अंतिम जॉच रिपोर्ट के अनुसार अनूप कुमार सिहं (मुल्जिम) से प्रशमन की धनराशि रू0 55,000.00 (रू0 पचपन हजार मात्र) प्राप्त कर उसे रसीद संख्या 65/364 दि0 16.03.2022 निर्गत की गयी तथा केस की अंतिम जॉच रिपोर्ट पर क्षेत्रीय वनाधिकारी, कौडिया तथा उप प्रभागीय वनाधिकारी बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद की संस्तुति के आधार पर वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक मुरादाबाद के पत्रांक 152/22-2 दिनांक 20.07.2022 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद द्वारा उक्त केस प्रशमित कर दिया गया था। विषयगत प्रकरण में उखाड कर नष्ट किये गये 11 हरे वृक्ष सागौन वन भूमि पर विद्यमान नहीं थे तथा उनका स्वामित्व वन विभाग उत्तर प्रदेश का नही था अतः उक्त गिरे वृक्षो या उनकी काष्ठ को वन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जब्त नहीं किया गया था। केस में प्राप्त हुई प्रशमन की धनराशि रू0 55,000.00 (रू0पचपन हजार मात्र) में उक्त 11 वृक्ष सागौन का मूल्य या उनकी काष्ठ का मूल्य सम्मिलित नहीं है। उखाडकर नष्ट हुए 11 वृक्ष सागौन मौके पर पडे रहे थे। विषयगत केस के अन्तर्गत नष्ट 11 हरे वृक्ष सागौन का मूल्याकंन करने हेतु माननीय राष्ट्रीय

निरन्तर..............

हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 03.04.2023 के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 13/25–14 दिनांक 01.07.2023 द्वारा उक्त 11 हरे वृक्ष सागौन का मूल्याकंन रू0 22,800 (रू0 बाईस हजार आठ सौ मात्र) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को ई–मेल द्वारा सूचित किया गया था। उक्त वित्तीय मूल्याकंन मुरादाबाद वृत्त अन्तर्गत सम्मिलित सभी जनपदो जिसमें बिजनौर भी शामिल है, हेतु वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद द्वारा निर्धारित पुनरीक्षित अनुसूचित दरो के आधार पर किया गया था **(छायाप्रति संलग्नक)**। अतः 11 हरे वृक्ष सागौन को सडक निर्माण कार्य के दौरान जे0सी0बी0 मशीन से गिरा कर नष्ट कर देने के विषयगत प्रकरण में बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद के स्तर से उपर्युक्तानुसार विधिक कार्यवाही की जा चुकी है। चूंकि केस में दर्ज अपराध प्रशमनीय था अतः केस में नामजद मुल्जिम से प्रशमन धनराशि रू0 55,000.00 (रू0 पचपन हजार मात्र) प्राप्त कर राजकोष (राजस्व) में जमा कराई जा चुकी है तथा केस का वन विभाग के स्तर से अंतिम निस्तारण किया जा चुका है।

3– **सडक निर्माण के समय क्षतिग्रस्त वृक्षो के सम्बन्ध में** :– प्रश्नगत खेत के बराबर में कच्ची सडक को पक्की सडक किये जाने के समय सडक के समतलीकरण कार्य के दौरान सडक के किनारे से सटे वृक्ष क्षतिग्रस्त हुए। क्षतिग्रस्त वृक्षो के सम्बन्ध में कार्यवाही बिन्दु सं0 02 में की जा चुकी है।

4– **प्रश्नगत खेत के भू–स्वामित्व के सम्बन्ध में** :– ग्राम मुर्तजाबाद तहसील नगीना जिला बिजनौर के खाता सं0 74 गाटा सं0 1/11मि क्षे0 1.620 हे0 भूमि के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 सांसद श्री गिरीशचन्द्र व शिकायतकर्ता किशनचन्द पुत्र ख्वानी निवासी मौ0 कस्साबान बिजनौर के द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में बताया गया कि भूमि अभिलेख में हेरा–फेरी की गयी है, के सम्बन्ध में शासन द्वारा राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया था, जिसमें जिला स्तरीय कमेटी द्वारा ग्राम मुर्तजाबाद के अभिलेखो का परीक्षण कर आख्या राज्य स्तरीय कमेटी को दी गयी। राज्य स्तरीय कमेटी के अनुमोदन के पश्चात् उपजिलाधिकारी नगीना के न्यायालय में वाद सं0 टी202213160402958 धारा 38(1) उ0प्र0 राजस्व संहिता उ0प्र0 सरकार बनाम राजीव कुमार आदि में दिनांक 27.08.2022 को खातेदारो के नाम निरस्त कर भूमि 1360 फसली के अनुसार पूर्व की भांति मूल श्रेणी जंगल के रूप में दर्ज कर दिया गया है, जो अभिलेखो में अंकित है **(छायाप्रति संलग्नक)**। उक्त आदेश के विरूद्ध मा0 न्यायालय आयुक्त मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद सं0 390/पेशकार में

निरन्तर.................

(4)

दिनांक 06.10.2022 के क्रम में दिनांक 27.08.2022 का क्रियान्वयन दिनांक 05.12.2022 तक स्थगित किया गया है। वर्तमान में भी वाद उपरोक्त न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि उपरोक्त प्रकरण में भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में वाद विचाराधीन है। स्वामित्व के निर्णय के उपरान्त ही सम्बन्धित को मुआवजा दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

क्रम सं0	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री आशुतोष पाण्डेय	प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद	22.9.23
2	श्री शैलेन्द्र कुमार	उपजिलाधिकारी, नगीना	29.9.23
3	श्री शिव दयाल सिहं	खान अधिकारी, बिजनौर	22/09/2023
4	श्री योगेन्द्र सिहं	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग नजीबाबाद	22/9/23
5	श्री विजय	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड बिजनौर	

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र,मुरादाबाद ।

पत्रॉक– 1322 /22–3, दिनॉक, मुरादाबाद 12 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर 2018

समस्त प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

TC | 5926

आवश्यक कार्यवाही करें !

प्र० व० अ०

दिनांक–14–11–18

विषयः– **वृक्षों की अनुसूचित दरों का पुनरीक्षण।।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है कि मुरादाबाद वृत्त हेतु विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों के मूल्यों का निर्धारण कर संशोधित अनुसूचित दरें आपके अवलोकनार्थ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। यह दरें दिनांक–12.11.2018 से प्रभावी होंगी।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0पी0 वर्मा)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक– /22–3, उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, रूहेलखण्ड जोन, उ0प्र0, बरेली को संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक–यथोपरि।

2133
15-11-18

(आर0पी0 वर्मा)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद।
पत्रांक–1592/17-1, नजीबाबाद, दिनांक 15–11–2018
प्रतिलिपि– समस्त क्षेत्रीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद को सूचनार्थ एवं पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी नजीबाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

पत्रांक [illegible] /22 3. दिनांक 12.11.2018 का [illegible]

मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद के लिए विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों की पुनरीक्षित अनुसूचित दर
(दिनांक– 12.11.2018 से प्रभावी)

क्र0 सं0	वृक्षों की प्रजाति	व्यास वर्ग (सें0मी0 में) तथा अनुसूचित दर (रू0 में)							
		0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70 से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सागौन	180	600	1800	7200	18000	36000	60000	[illegible]
2	साल	300	900	3600	9600	16800	24000	36000	72000
3	शीशम	240	720	2400	7200	14400	25200	38400	54000
4	खैर	420	1260	4900	10500	21000	30800	43400	75000
5	आम नीम	165	330	550	1650	3850	6600	11000	16500
6	महुआ इमली अर्जुन	165	330	550	1650	4400	7150	12100	16500
7	हल्दू	110	220	550	1320	3850	5500	8800	13200
8	तुन	110	275	825	2750	6600	9900	16500	27500
9	सेमल	60	120	480	1560	4800	8400	12000	16800
10	सिरस	120	420	960	1800	4200	8400	13200	21600
11	प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा	55	165	550	1100	1980	3300	4950	6600
12	बबूल	60	240	720	1440	2400	4200	7200	12000
13	सबबूल, जंगल जलेबी व अन्य ईंधन प्रजातियां	55	220	770	1650	2750	4400	7150	9900

क्र0 सं0	वृक्षों की प्रजाति	व्यास वर्ग (से0मी0 में) तथा अनुसूचित दर (रू0 में)							
		0–5	5–10	10–15	15–20	20–25	25–30	30–35	35–40
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	यूकेलिप्टस	25	70	126	294	535	846	1188	1685

क्र0 सं0	वृक्षों की प्रजाति	40–45	45–50	50–55	55–60	60–65	65–70	70–75	75–80
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
14	यूकेलिप्टस	2064	2626	3254	3949	4712	5543	6442	7406

क्र0 सं0	वृक्षों की प्रजाति	80–85	85–90	90 से ऊपर
1	2	19	20	21
14	यूकेलिप्टस	8438	9535	10705

1–उपरोक्त दरें ठोस हरे खड़े व हरे उखड़े वृक्षों के लिए होंगी।
2–सूखे वृक्षों की दरें उपरोक्त दरों की 3/4 या 75 प्रतिशत होंगी।
3–योग्य तथा अयोग्य वृक्षों की दरें उपरोक्त दरों की क्रमशः 2/3 या 1/3 होंगी।
4–अवैध कटान के मामले में हर वृक्ष ठोस माना जायेगा।
5–कोमल काष्ठ के इंधन का मूल्य रू0 300/– प्रति कुन्तल होगा।
6–कठोर काष्ठ के ईंधन का मूल्य रू0 400/– प्रति कुन्तल होगा।
7–घास तथा छप्पर छाने की घास का मूल्य रू0 200/– प्रति कुन्तल होगा।
8–साख पराली चारा पत्ती हेतु रू0 70/– प्रति वृक्ष होगा।
9–जिन वृक्षों की प्रजाति के लिए कोई दर निर्धारित नहीं है उन मामलों में यदि कोई प्रकरण प्रकाश में आता है, तो वन संरक्षक से अनुसूचित दर अलग से निर्धारित कर अनुमोदित कराना अनिवार्य होगा।

84 83

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : मुर्तजाबाद परगना : (बढापुर) तहसील : नगीना जनपद : बिजनौर फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023) भाग : 1 खाता संख्या : 00074

2	3	4	5	6	7-12	13
खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान		खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश		टिप्पणी
श्रेणी 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।						
विरेन्द्र प्रसाद गौड / दयानन्द गौड / नि0 मानपुर कोटद्वार सरोज ध्यानी / आनन्द कुमार ध्यानी / नि0 1ए इन्द्रप्रस्त इन्कलैव रोड बलाकला देहरादून सुशीला देवरानी / जगदीश प्रसाद देवरानी / नि0 वमंडगांव पिचला बदलपुर जिला पोडी गढवाल भगवती प्रसाद / चिन्तामणी / नि0ग्राम विघावती देवी / चिन्तामणी / नि0ग्राम		1/11मि.	1.6200	1430फ0 न्यायालय उपजिलाधिकारी नगीना वाद सं0 T202213160402958 धारा-38(1) उ0प्र0राजस्व संहिता ,उ0प्र0सरकार बनाम राजीव कुमार आदि मे दिनांक 27.08.2022 को आदेश हुआ कि विवेचना के आधार पर संयुक्त टीम की जॉच आख्या दिनांकित 15.10.2020 व तहसीलदार नगीना की रिपोर्ट दिनांक 20.07.2022 स्वीकार कर खाता सं0 74 के खसरा सं0 1/11मि. रकबा 1.6200 है0 पर दर्ज खातेदारो के नाम निरस्त करते हुए भूमि 1360 फसली के अनुसार पूर्व की भॉति मूल श्रेणी जंगल के रूप मे दर्ज की जाती है ।ह0र0का0 03.09.2022 1430फ0 न्यायालय आयुक्त मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद सं0 390/ पेशकार दिनांक 06.10.2022 के क्रम मे आदेश हुआ कि दिनांक 29.09.1953 से वर्तमान तक चली आ रही अभिलेखीय प्रविष्टि और संक्रमणीय भूमिधर दर्ज होने के बाद धारा 38 (1) राजस्व संहिता की सरसरी कार्यवाही मे अभिलिखित खातेदारो के नाम निरस्त करने के आदेश को न्यायाहित मे स्थगित किया जाना तथा अगले आदेशो तक यथास्थिति बनाये रखना उचित होगा। अत-अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 23.08.2022 का क्रियान्वयन नियत दिनांक 05.12.2022 तक स्थगित किया जाता है । मौके पर यथास्थिति बनाये रखी जाये।ह0र0का0 17.11.2022		
योग		1	1.6200			

Disclaimer: ... Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal / CSC / Lok Vani Computer Centre.
Software Designed By: National Informatics Centre, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow

Digital India NIC NATIONAL INFORMATICS CENTRE